न्यायालय अतिरिक्त जिला कंलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 60/2025 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2025/129

उनवान

1. हेमन्त कुमार आत्मज लक्ष्मीनारायण
2. गिर्राज आत्मज लक्ष्मीनारायण
3. कल्याणी बाई बेवा लक्ष्मी नारायण जी जाति धोबी निवासी ग्राम मोरपा तहसील दीगोद,जिला कोटा

(अपीलान्ट)

बनाम

1. पानाचन्द आत्मज कन्हैयालाल
2. हीना पुत्री ओमप्रकाश
3. उपासना पुत्री ओमप्रकाश
4. दीपा कुमारी पुत्री ओमप्रकाश
5. प्रेमबाई पुत्री ओमप्रकाश
6. मांगीबाई पुत्री कन्हैयालाल
7. कलावती बाई पत्नि कन्हैयालाल जाति धोबी निवासीगण ग्राम मोरपा तहसील दीगोद,जिला कोटा
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा

(रेस्पोडेन्टस्)

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश प्रजापत (अपीलान्ट)
श्री धनश्याम नागर (रेस्पोडेन्ट)

अपील बनाराजगी इंतकाल नं. 390 दिनांक 10.11.14 तहसीलदार दीगोद,भू0राजस्व अधिनियम की धारा 75

निर्णय दिनांकः– 8/01/2026

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि न्याय एवं संचिका के सिद्वी के प्राप्त तथ्यो से सर्वथा विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यो की जांच किये बिना तथा कब्जे की रिपोर्ट मंगवाये बिना अनरजिस्ट्रर्ड वसीयत दिनांक 22.07.1990 के आधार पर इंतकाल खोल कर मृतक कन्हैयालाल का

अति. जिला कलक्टर
कोटा

नामान्तकरण रेस्पो. नं. 1 ता 5 के पक्ष में तस्दीक कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण व अवैधानिक है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि वसीयत के बाबत व इंतकाल खोलने से पूर्व कन्हैयालाल के सभी वारिसान को सूचना देना चाहिए था। अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई सूचना नही दी गई और न ही अपीलान्टस् द्वारा सूचना से इंकार किया जब कि कार्यवाही पत्रावली में सूचना जारी करना अंकित कर आपत्ति पेश नही करने के तथ्य अंकित कर इंतकाल तस्दीक करने मे त्रुटि की है। तथा कथित वसीयत फर्जी व बनावटी है तथा उसके बाबत् अपीलान्ट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही दिया गया है भूमि पर कन्हैयालाल के तीनो पुत्र व उनके वारिसान काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलान्ट कन्हैयालाल के पौत्र है ओर उक्त भूमि पुश्तैनी है तथा अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा बनता है। इस कारण भी उक्त खोला गया नामान्तकरण खारिज योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी अपीलान्ट को नही हुई। इंतकाल तस्दीक होने पर रेस्पोडेन्टस् द्वारा कब्जे काश्त की भूमि में व्यवधान पैदा करने की धमकी देने व उक्त भूमि उनके खाते व हिस्से की भूमि का इंतकाल उनके नाम खुलवा लेने के कहने पर दिनांक 3.05.2015 को हुई अपील जैर ओदश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर उक्त अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की जा रही है।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टस् स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.11.2015 निरस्त किया जाकर नामान्तकरण संख्या 390 निरस्त फरमाया जावे। तथा मृतक कन्हैयालाल फोती नामान्तकरा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पक्ष में खोले जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जर्ये समन्न की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक धनश्याम नागर द्वारा वकालतनामा पेश किया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 सीपीसी पेश किया। प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 सीपीसी बाद सुनवाई व बहस स्वीकार किया गया।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नही किया गया है। तथा कथित वसीयत फर्जी व बनावटी है तथा उसके बाबत् अपीलान्ट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही दिया गया है भूमि पर कन्हैयालाल के तीनो पुत्र व उनके वारिसान काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलान्ट कन्हैयालाल के पौत्र है ओर उक्त भूमि पुश्तैनी है तथा अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा बनता है। इस कारण भी उक्त खोला गया नामान्तकरण खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टस् स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.11.2015 निरस्त किया जाकर नामान्तकरण संख्या 390 निरस्त फरमाया जावे। तथा मृतक कन्हैयालाल फोती नामान्तकरा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पक्ष में खोले जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्टस् की ओर से दौरान बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.2014 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को

अति. जिला कलक्टर
कोटा

नियम 135 (2) के अन्तर्गत दर्ज कर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.8.2014 अन्तर्गत धारा 135(2) कि अपील को सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही होने के कारण प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर आर डी 1993 पेज न. 28 पेश किए।

वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय वकील रेस्पोडेन्ट की बहस एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त से सहमत है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण मे हूबहू चस्पा होते है। अतः अपील अपीलान्ट क्षेत्राधिकार की नही होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह सांखला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

अति. जिला कलेक्टर
कोटा